न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम 5

मु.नं. 55/14 तारीख रजू 20.10.14

पीठासीन अधिकारी - जगदीश आर्य R.A.S.

उनवान

1. अब्दुल हमीद पुत्र शेख अहमद
2. सिराजुद्दीन पुत्र शेख अहमद
3. शाहबुद्दीन पुत्र शेख अहमद

जाति मुसलमान निवासी टोडाभीम जिला करौली

(सायल)

बनाम

1. गुलाब पुत्र प्यारया
2. भगवती पुत्र प्यारया (मृतक)
2/1 फूलवती पत्नि भगवती
2/2 सोनू पुत्र भगवती
2/3 मोनू पुत्र भगवती
2/4 पूजा पुत्री भगवती

समस्त जाति जाट निवासी टोडाभीम जिला करौली

3. रामजीलाल पुत्र हरिया (मृतक)
3/1 रामगिरी पत्नि रामजीलाल
3/2 महेश पुत्र रामजीलाल
3/3 विष्णु पुत्र रामजीलाल
3/4 बृजा पुत्र रामजीलाल
3/5 श्रीनारायण पुत्र रामजीलाल

समस्त जाति कुम्हार निवासी टोडाभीम जिला - करौली

(गैरसायल)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति - श्री रामभरोसी गुप्ता एडवोकेट (सायल)
श्री सुरेश चंद शर्मा एडवोकेट (गैरसायल) 1, 3/1 से 3/5

निर्णय दिनांक 14.9.16

संक्षेप में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का वर्णन इस प्रकार है। हाल खसरा नं. 850 रकबा 0.10 है० ग्राम असरो की खातेदारी हाल राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी नं. 1, 2, गुलाब व भगवती के नाम है। हाल खसरा नं. 860 रकबा 0.13 है०, 861 रकबा 0.07 है० ग्राम असरो की खातेदारी हाल

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी नं. 3 रामजीलाल के नाम दर्ज है। उक्त तीनो खसरा नम्बरान की बाबत रेवन्यू रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी गलत दर्ज है इनकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम होनी चाहिए। खसरा नम्बर 850, 860, 861, 862 का भू प्रबंध से पूर्व खसरा नम्बर 293 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा है। प्रार्थीगण गत खसरा नम्बर 293 पर पिछले सैंकड़ों साल से अपने पिता के समय से ही आज तक निरन्तर काबिज चले आ रहे हैं। नक्शा ट्रेस गत में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। दौराने सेटिलमेंट अधिकारियों / कर्मचारियों ने हाल ट्रेस में नम्बर गत ट्रेस के अनुसार नहीं डाले हैं। ख.नं. 863 कायम कर भूमि की किस्म गै.मु. सड़क दर्ज कर खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी है। जो कतई गलत व अवैध है रिकार्ड के विपरीत व खिलाफ मौका है। प्रार्थीगण की खातेदारी में हाल खसरा नं. 862 रकबा 0.02 है० किस्म बारानी प्र सही दर्ज किया है। प्रार्थीगण को गत रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा के हिसाब से 0.35 है० भूमि चाहिए तथा हाल खसरा नं. 863 में भी प्रार्थीगण 0.03 है० भूमि के खातेदार होने चाहिए। तभी रकबा गत रकबा के बराबर बैठता है। प्रार्थीगण 0.35 है० भूमि पर काबिज है। हाल खसरा नम्बर 863 रकबा 0.32 है० गैर मुमकिन सड़क दर्ज होनी चाहिए तथा प्रार्थीगण की खातेदारी में से निरस्त होकर हाल खसरा नम्बर 850, 860, 861 का सम्पूर्ण रकबा तथा 863 में से 0.03 है० की खातेदारी प्रार्थीगण के नाम होनी चाहिए। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि में सड़क नहीं है। प्रार्थीगण को भू प्रबंध के गलत रिकार्ड की जानकारी नहीं हो पाई थी प्रार्थीगण अपनी भूमि की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तब इसकी जानकारी हुई। अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार करने से प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण का प्राईमाफेसी केस साबित है सुविधा का संतुलन भी पक्ष में है। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो जायेगी। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे कि प्रार्थीगण की मालकाना व कब्जे की भूमि हाल खसरा नम्बर 850 रकबा 0.10 है०, 860 रकबा 0.13 है०, 861 रकबा 0.07 है० ग्राम असरो के कब्जे काश्त में प्रार्थीगण को रुकावट पैदा नहीं करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस

Scanned by CamScanner

जारी किये गये। अप्रार्थीगण 1, 3 की ओर से सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण 2 को तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं। इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। इसी दरम्यान अप्रार्थीगण 2 भगवती तथा अप्रार्थीगण 3 रामजीलाल के फोत हो जाने के कारण दर० आर्डर 22 नियम 4 पेश हुई। दर० की सुनवाई करते हुए दर० मंजूर कर संशोधित वाद पत्र पेश करने के आदेश दिये गये। अप्रार्थीगण 4, व 4/5 व अप्रार्थीगण 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए। अप्रार्थीगण 3/1, व 3/5 की ओर से भी सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट उपस्थित। उपस्थित होकर जबाब इस प्रकार पेश किया कि ख०नं 860 व 861 ग्राम असरो तहसील टोडाभीम में होना स्वीकार है। जिसकी खातेदारी गैरसायल न० 3 के ~~नाम~~ नाम दर्ज है। साबिक ख० 293/2 से ख०नं 860, 861 सेटिलमेन्ट कर्मचारियो ने सही बनाये है। जिन पर गैरसायल न० 3 काबिज है। सायलान मेरी खातेदारी को बिना किसी अधिकार के खातेदारी हजफ करवाना चाहता है। जो न्याय संगत नही है। सायल का ख०नं 860, 861 से कोई सम्बन्ध नही है। सायल नं० 3/1, व 3/5 की खातेदारी काश्त व कब्जा की भूमि है। उक्त आराजी पूर्व में गैरसायलान के पूर्वज पिता रामजी लाल पुत्र हरिया प्रजापत की खातेदारी व कब्जे काश्त में थी इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। आराजी ख०नं 860, 861 जो साबिक नं 293/2 से सेटिलमेन्ट ने सही बनाये है एवं सायल का कोई कब्जा नही है इसलिए खारिज योग्य है।

प्रार्थी व अप्रार्थी वकीलो की बहस सुनी गयी। प्रार्थी ~~प्रार्थना~~ वकील ने प्रार्थना पत्र के वर्णित तथ्यो को दोहराया। और कथन किया कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा ख०नं 860, 861 गलत कायम किये गये है। इनको शुद्ध किया जावे। गैरसायलान को पाबन्द

लगातार

उपजिला कलक्टर

फरमाया जावे। कि अप्रार्थी वकील की बहस सुनी गयी। प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि ख॰ 860, 861 को हड़पना चाहता है। पूर्व में बुजुर्गो के नाम खातदारी रही है। एवं उक्त आराजी पर काबिज व दखील है। सेटिलमेन्ट विभाग ने सही कायम किये है। सायल इस आराजी पर काबिज नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। व मनन किया, प्रथम दृष्या प्रार्थनापत्र सायल के स्वीकार होने योग्य नही के कारण प्रार्थना खारिज योग्य है। इसलिए खारिज किया जाता है। फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

आज दिनांक 14-9-16 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)